आदेश पत्रक

आदेश पत्रक ता0.................................. से .... तक
जिला .... सं... सन्20..................

तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
विविध वाद सं0 ...13/19.......
जागेश्वर साव बनाम उमेश साव वगै0

13-2-2020 यह वाद जागेश्वर साव पिता देवनाथ साव के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा मौजा शाहपुर, खाता नं0 12 अन्तर्गत रकवा 2.64ए0 जमीन के लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया। विपक्षी उमेश प्रसाद पिता स्व0 बद्री साव वगै0 को नोटिस निर्गत की गई। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किये। उभय पक्ष के द्वारा किये गये बहस एवं उनके द्वारा दाखिल कागजात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा शाहपुर के खाता नं0 12 गत सर्वे खतियान में चुल्हन साव वगै0 के नाम पर दर्ज है। चुल्हन साव के दो पत्नी थी। स्व0 जानकी देवी एवं बरती देवी, जानकी देवी को एक पुत्री रामबिलासी देवी पति देवनाथ साव थी। जिनके पुत्र जागेश्वर साव इस वाद के प्रथम पक्ष हैं। दूसरी पत्नी बरती देवी के चार पुत्र जिनके वारिशान इस वाद के विपक्षी हैं।

प्रथम पक्ष द्वारा केवाला सं0 8090 दिनांक 22.12.1960 जिसके लेखकारी श्रीमती जानकी देवी तथा लेखधारी बिलासी देवी है। इस डीड के द्वारा जानकी देवी ने खाता 12 अन्तर्गत 2.64ए0 जमीन अपनी पुत्री रामबिलासी देवी को लिख दिया। ऑफलाईन पंजी 02 पृष्ट सं0 218 भॉल्यूम 04 पर रामबिलासी देवी पति देवनाथ साव के नाम पर वर्ष 2013-14 तक लगान रसीद निर्गत है। विपक्षी द्वारा टाईटल शूट वाद सं0 542/1963 के आदेश फलक की छाया प्रति दाखिल किया गया है। जो मुनशफ न्यायालय हजारीबाग का है। जिसमें प्रथम पक्ष चुल्हन साव तथा द्वितीय पक्ष रामबिलासी देवी पति देवनाथ साव, जानकी देवी पति चुल्हन साव और अन्य पाँच व्यक्ति है। इस वाद में माननीय न्यायालय द्वारा 14.11.1960 को निबंधित केवाला सं0 8090 जिसके लेख्यकारी जानकी देवी पति चुल्हन साव एवं लेखधारी रामबिलास देवी पति देवनाथ साव रकबा 2.64ए0 एवं 24.04.1963 के निबंधित केवाला को set aside कर दिया गया।

इस आदेश के विरूद्ध प्रथम पक्ष के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में अपील दायर नहीं की गई। न ही अपील दायर करने संबंधी कोई कागजात दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट है कि टाईटल शूट वाद सं0 542/1963 में पारित आदेश अभी तक कायम है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा लगान रसीद निर्गत करने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

13/2/2020

अंचल अधिकारी,
कटकमसाण्डी।